न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी II,
बेनीपट्टी, जिला- मधुबनी (बिहार)

उपस्थित- सुनील कुमार त्रिपाठी,
अ०मु० न्यायिक दण्डाधिकारी,II
बेनीपट्टी, मधुबनी।
दिनाँक-13/03/ 2020.

सामान्य पंजी सं० 135/2017
आपराधिक विचारण सं० 15/2020
CIS No- BRMB210003372017

राज्य-द्धारा- नूरजहाँ ---------- सूचक।

बनाम्

1.मो० इस्लाम, पिता- स्व० हसन तहीर, उम्र लगभग 50 वर्ष, 2 मो०
मुस्तफा, पिता- स्व०हसन तहीर, उम्र लगभग 75 वर्ष, 3 सैदा
खातून, पति- मो० मुस्तफा, उम्र लगभग 60 वर्ष, 4 उमती
खातून , पति- मो० इस्लाम, उम्र लगभग 35 वर्ष,
निवासी ग्राम- परबत्ता, थाना- बिस्फी, जिला-मधुबनी----------अभियुक्तगण

आरोप अन्तर्गत धारा- 341, 323, 354 एवं 504/34 भा०द०वि० ,
अभियोजन पक्ष की ओर से- श्री राजदेव तिवारी, वि० स०लो०अभि०।
प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से- श्री संतोष कुमार, वि० अधि०।

निर्णय

1.प्रस्तुत वाद में, उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 323, 354 एवं 504/34 भा०द०वि० ,के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हेतु आरोप का गठन करके हिन्दी में सुनाया एवं समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा वाद विचारण की मांग किये। ।

2.सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि आज दिनांक 13/02/2017 को 02:30 बजे हमारे दयाद का लडका और इस्लाम की लडकी पहले से प्यार करते थे, इसी बात को लेकर झगडा हुआ, रियाज मोटरसायकिल से कही जा रहा था तो इस्लाम गाडी रोककर छीन लिया, जब इसकी जानकारी हमे हुई तो हम पूछने गये, जिस पर मुदालयगण हमेफैट-मुक्का से मारने लगे, जिससे मै बेहोश हो गयी, तथा मेरा कान का छक व बीस हजार रु० छीन लिया।

3.दिनाँक 13/02/2017 को लिखित एवं सूचिका के अंगूठा निशान युक्त आवेदन के आधार पर बिस्फी थाना काण्ड सं० 30/17 पंजीकृत किया गया तथा औपचारिक प्राथमिकी अंकित की गई तथा अनुसन्धानकर्ता ने अनुसन्धानोपरान्त आरोप पत्र सं० 87/17 दिनाँक 30/04/17 श्रीमान अ०मु० न्या० दण्डा०, बेनीपट्टी, मधुबनी के समक्ष 17/08/17 समर्पित किया गया, जिस पर संज्ञान लेकर वाद अभिलेख निष्पादन हेतु निजी संचिका मे रखा गया। इस वाद में दिनाँक 23/07/2019 को उपस्थित अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया।

4.विचारण के क्रम में इस वाद के सूचक ने अभियुक्तगण के साथ केस सुलह कर लिया है तथा दिनांक 18/12/2017 को दोनों पक्षों एवं उनके संबंधित अधिवक्तागण द्धारा पूर्णतः हस्ताक्षरित संधिपत्र दाखिल किया है, जिसके समर्थन हेतु सूचक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, व सुलह का समर्थन किया। अभियुक्तो पर आरोपित धारा 341, 323, 354 एवं 504/34 भा०द०वि० है, धारा 341, 323 एवं 504/34 भा०द०वि०, द०प्र०सं० की धारा 320 के अन्तर्गत पूर्णतः शमनीय है अतः इस सीमा तक अभियुक्तगण को सुलह के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है, परन्तु धारा 354, भा०द०वि०, द०प्र०सं० के अन्तर्गत शमनीय नही है । तदानुसार इस वाद में विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तो को आरोपित अपराध का शमन करने की अनुमति नही दी जा सकती है तथा 354 भा०द०वि० के आरोप का निर्णय गुणदोष के आधार पर किया जायेगा।

5. दिनाँक 27/02/2020 को उपस्थित अभियुक्तगण का बयान द०प्र०सं० की धारा 313 के अन्तर्गत अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने बयान में स्वयं को निर्दोष बताया है, तथा सुलह का समर्थन किया है ।

6. अब मुझे देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष इस वाद में अभियुक्तगण पर लगाये गये धारा 354 भा०द०वि०, के आरोपों को समस्त युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

विनिश्चयन्

7.विचारण के क्रम में, अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में एकमात्र साक्षी का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष कराया है, इनमें

साक्षी सं० 1 नूरजहाँ है, जो इस वाद के सूचिका है, इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है

प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

8. अब मैं वाद अभिलेख पर उपलब्ध सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये धारा 354 भा०द०वि०,के आरोप के आलोक में करुँगा।

9. अभियोजन साक्षी सं० 1 अर्थात सूचिका ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का समर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना ढाई साल पूर्व ढाई बजे दिन की है, मुदालयगण मेरे दयादिन के लडके रियाज की मोटरसाकिल क्षीन लिए जब हम पूछने गयी तो मुदालय मेरे साथ मार-पीट किये, इसी आशय का थाना पर जाकर केस किये। परन्तु प्रतिपरीक्षण मे न्यायालय साक्षी के रुप मे बुलाए जाने पर सुलह का समर्थन करते हुए कहा कि मुकदमा राजी-खुशी सुलह हो गया है तथा सुलहनामा व इजाजतनामा पर मै राजी-खुशी अंगूठा निशान बना दिया हूँ, मुदालयगण मेरे ही फरीक है, तथा उन्होने कोई अभद्र व्यवहार नही किया था, पल्टा मुकदमा मे भी सुलह हो गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, न ही इसके संबंध मे कोई स्पष्टीकेण दिया गया है। धारा 354 के अपराध के लिए आवश्यक है कि जो कोई स्त्री को निवस्त्र करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करे या आपराधिक बल का प्रयोग करे। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षियो ने अपने प्रतिपरीक्षण मे कहा है कि दोनो पक्ष मे राजी - खुशी समझौता हो गया है। अभियोजन कथानक से यह स्पष्ट है कि सूचिका के साथ स्त्री को निवस्त्र करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करे या आपराधिक बल का प्रयोग की बात कही गयी है, लेकिन उन्होने अपने मुख्य परीक्षण य़ा प्रतिपरीक्षण मे कही भी स्त्री को निवस्त्र करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करे या आपराधिक बल का प्रयोग की बात नही कही है, साथ ही प्रतिपरीक्षण मे कहा है कि धक्का-मुक्की हुई जिसमे गिर गयी तथा कपडा फट गया, तथा मुदालय मेरा जाउत लगता है, तथा दोनो पक्ष मे राजी - खुशी समझौता हो गया है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह स्पष्ट है कि पीडिता के साथ स्त्री को निवस्त्र करने के आशय से उस स्त्री पर हमला करे या आपराधिक बल का प्रयोग नही किया गया था।

10. उपरोक्त विवेचन, साक्षियों के साक्ष्य, उभय पक्षों के तर्को, अभिलेख के अवलोकन तथा वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन इस वाद मे अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को संदेह से परे साबित करने मे असफल रहा है। अतएवं यह ----------

आदेश

------ दिया जाता है कि इस वाद में विचारण का सामना कर रहे सभी अभियुक्तगण को भा०द०वि० की धारा 354 भा०द०वि० के अन्तर्गत लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।।

दिनाँक – 13/03/ 2020.

सुनील कुमार त्रिपाठी,
अ० मु० न्या० दण्डाधिकारी,II
बेनीपट्टी,मधुबनी।

निर्णय आज दिनाँक 13/03/20 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में लिखित, शुद्धिकृत, हस्ताक्षरित, दिनाँकित एवं उदघोषित किया गया।

दिनाँक – 13/03/2020.

सुनील कुमार त्रिपाठी
अ० मु० न्या० दण्डाधिकारी,II
बेनीपट्टी,मधुबनी।